Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	W.R.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निगरानी/टीए/3349/2002/नागौर
गंगासिंह बनाम उच्छवकंवर

एकलपीठ

श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री के.के.पुरोहित, अभिभाषक प्रार्थी

श्री सी.पी.शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 3

श्री सुनील गर्ग, उप राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक–26.3.18

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–4–2002 को पारित किये गये निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मूल प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) नागौर ने स्व0 सुमेरसिंह के कायममुकाम प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की कोई भूमि सीलिंग अधिनियम में अधिग्रहण योग्य नहीं होने से बाद जांच दिनांक 29–11–71 को सीलिंग कार्यवाही समाप्त कर दी उसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा जांच क्रम में पाया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा किए गए

तारीख हुक्म	W.R. **निगरानी/टीए/3349/2002/नागौर** **गंगासिंह बनाम उच्छवकंवर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कतिपय हस्तांतरण की वैधता की जांच किए बिना मान्यता दे दी इस कारण प्राधिकृत अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) का निर्णय दिनांक 29–11–71 कानूनी प्रावधानों के विपरीत और राज्य हित के प्रतिकूल होने से राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आदेश संख्या प–(824)राज/सी/79 दिनांक 17–12–82 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर को निर्देश दिए कि वह अपने निर्णय के प्रकाश में सीलिंग प्रकरण को पुनः खोलकर अप्रार्थीगण को सुनवाई के लिए नियमानुसार नोटिस देकर बाद जांच कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपना निर्णय देवे । अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सीलिंग)नागौर ने प्रकरण दर्ज कर बाद जांच एवं सुनवाई के दिनांक 4–7–85 को प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थीगण के खाते में 80.04 बीघा भूमि कम करने के पश्चात दिनांक 25–2–58 से 1–4–66 के बीच 2003–16 बीघा बी–1 भूमि होना तथा ग्राम अलाय द्वितीय ग्रुप का नाम होने से उसके परिवार में तीन सदस्य मानते हुए 5 सदस्यों के परिवार द्वारा 317 .10 बीघा बारानी–1 भूमि उसके द्वारा धारित किए गए योग्य होने से शेष 1686.06 बीघा बारानी–1 भूमि अधिग्रहण किए जाने के आदेश दिए । उक्त आदेश दिनांक 7–4–85 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में अपील संख्या 179/85 /सीलिंग/नागौर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने	

तारीख हुक्म	W.R. **निगरानी/टीए/3349/2002/नागौर** **गंगासिंह बनाम उच्छवकंवर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत की जिसमें राजस्व मण्डल में अपील स्वीकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर का आदेश दिनांक 4–7–85 को निरस्त कर प्रकरण अपर कलेक्टर, नागौर को रिमाण्ड कर दिया जिन्होंने बाद जांच अपने आदेश दिनांक 8–1–2001 द्वारा सुमेरसिंह के विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को निर्धारित तिथि दिनांक 1–4–66 को होना माना और प्रत्येक के हिस्से में 128.08 बीघा भूमि आई मानी । ग्राम अलाय सीलिंग सीमा निर्धारण हेतु ग्राम द्वितीय ग्रुप का ग्राम है जिसमें पांच सदस्यों का एक परिवार चाही गई भूमि 155 बीघा अथवा बारानी–1 भूमि 155 अथवा बारानी द्वितीय भूमि 232.10 बीघा अथवा बारानी तृतीय भूमि 310 बीघा भूमि धारण कर सकते हैं जबकि प्रत्येक उत्तराधिकारी के पास केवल 108.08 बीघा भूमि है जो सीलिंग सीमा से कम है और इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पास सीलिंग सीमा से कम होने से कार्यवाही समाप्त करने के आदशे दिए । अपर कलेक्टर(सीलिंग) नागौर के इस आदेश दिनांक 8–1–2001 के विरूद्ध अपील अप्रार्थी सख्या 1 से 3 ने प्रार्थी एवं राज्य सरकार के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 8–1–2001 में केवल इतना संशोधन किया कि श्री सुमेरसिंह के विधिक उत्तराधिकारी अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 3 तथा उसकी माता धूपकंवर निर्धारित तिथि दिनांक	

तारीख हुक्म	W.R. **निगरानी/टीए/3349/2002/नागौर** **गंगासिंह बनाम उच्छवकंवर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1-4-66 को होना पाई गई और उसमें यह अंकित कर दिया कि अपर जिलाधीश के निर्णय दिनांक 8-1-2001 में दर्ज उत्तराधिकारी के रूप में ही गंगासिह प्रार्थी का नाम हटाकर उसके स्थान पर सुमेरसिंह की माता धापूकंवर का नाम जोडा जाता है । राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त आदशे दिनांक 3-4-2002 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 3-4-2002 में यह माना है कि गंगासिंह सुमेरसिंह द्वारा गोद नहीं लिया गया और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नि उच्छवकंवर विधिवत रूप से गंगासिंह को गोद ले भी नहीं सकती । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट गंगासिंह का स्व0 सुमेरसिंह की भूमि में बतौर उत्तराधिकारी कोई अधिकार नहीं है और अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करते हुए सुमेरसिंह के विधिक वारिसान में श्री गंगासिंह का नाम हटाया जाकर उनकी माता धापूकंवर का नाम जोडा जाना न्यायोचित है । सीलिंग प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो चार विधिक उत्तराधिकारी माने गए है उनकी संख्या तो यथावत रहेगी मगर उन चारों के नामे में गंगासिंह के नाम को हटाया जाकर उनके स्थान पर सुमेरसिंह की माता धापूकंवर का नाम जोडा जाना न्यायोचित है। अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8-1-2001 में संशोधन किया गया ।	

तारीख हुक्म	W.R. **निगरानी/टीए/3349/2002/नागौर** **गंगासिंह बनाम उच्छवकंवर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी सुमेरसिंह का दत्तक पुत्र है । अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश की अपील राजस्व मण्डल में ही की जानी चाहिए । राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील नहीं चल सकती है। सीलिंग अधिनियम की धारा 15(2) के आदेश की अपील राजस्व मण्डल में ही हो सकती है । सीलिंग अधिनियम की धारा 23(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी अपील राजस्व मण्डल में ही पोषणीय है । इस संबंध में राजस्व अपील अधिकारी को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। दत्तक पुत्र का होना अथवा नहीं होने जांच में किया गया जब कि इस संबंध में कोई आपत्ति है तो उन्हें राजस्व मण्डल में अपील करनी चाहिए । राज्य सरकार के उक्त प्रकरण राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 की धारा 15(2) में रीओपन कर अपर जिलाधीश नागोर को जांच हेतु भेजा था जिसकी अपील कानूनी अनुसार इस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2-ए के अनुसार राजस्व मण्डल में होती है। इसी कारण राजस्थान सरकार के निर्देश के अनुसार अपर जिला कलेक्टर, नागौर द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 4-7-85 की अपील प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 1 से 3 द्वारा राजस्व मण्डल में की गई थी जिन्होंने मामला वापस अपर कलेक्टर, नागौर को रिमाण्ड किया था जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 8-1-2001 द्वारा निर्णय दिया	

तारीख हुक्म	W.R. **निगरानी/टीए/3349/2002/नागौर** **गंगासिंह बनाम उच्छवकंवर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	था जिसकी अपील कानून अनुसार वापिस राजस्व मण्डल में होनी चाहिए परन्तु अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 3 ने यह अपील गैर कानूनी तरीके से राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिन्हें इस अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही एवं फैसला क्षेत्राधिकारविहिन होने से ab-initio-void है । अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी का अप्रार्थी सख्या 2 लगायत 3 के साथ अपने परिवार का सदस्य एवं अपना दत्तक पुत्र मानते हुए अपील पेश की थी । अपर जिलाधीश नागौर का फैसला होने के बाद राजस्व मण्डल से भी अपने फैसले में प्रार्थी को सुमेरसिंह का दत्तक पुत्र मानकर उसके परिवार का सदस्य माना है । इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने भी प्रर्थी को सुमेरसिंह का दत्तक पुत्र नहीं होने मानते हुए अपील करने में कानूनी भूल की है और क्षेत्राधिकार बाहर की कार्यवाही की है । इसलिए यह निर्णय निरस्त योग्य है । अतः निगरानी स्वीकार कर उन्हें राजस्व मण्डल में अपील पेश करने हेतु निर्देशित किया जावे क्योंकि राजस्व अपील प्राधिकारी को कोई अधिकार नही है । इसलिए राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि पुराने सीलिंग कानून 1988 के तहत कार्यवाही की गई है । पुराने सीलिंग कानून में राजस्व अपील प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार था।	

तारीख हुक्म	W.R. **निगरानी/टीए/3349/2002/नागौर** **गंगासिंह बनाम उच्छवकंवर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ऐसी स्थिति में यह निगरानी चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि नये सीलिंग अधिनियम की धारा 15(2) में पत्रावली को रीओपन किया है तो उसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में होगी ।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 की धारा 23(2-ए) मूलतः इस प्रकार है-

23(2A) The. State Govt. or any person aggrieved by decision under section 15 of officer referred to in that section, may within 60 days from date of decision appeal to the Board against such decision and the provisions contained in sub section(3) to (6) shall mutatis mutandis apply to such appeal

इसी प्रकार आर.आर.डी. 1988 पेज 50 उनवानी गंगादान बनाम सरकार में यह अभिमत प्रकट किया है जो इस प्रकार है-

(a) Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act,1973 Section 23(2A)-Appeal against

तारीख हुक्म	W.R. **निगरानी/टीए/3349/2002/नागौर** **गंगासिंह बनाम उच्छवकंवर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	order of Collector does not lie to Revenue Appellate Authority but only to Board-Order, if any, passes by Revenue Appellate Authority is without justification and a nullity in law (Para 5) राजस्व मण्डल ने आर.आर.डी. 1988 पेज 155 निगरानी सं058 उनवानी .केसरीलाल बनाम राजस्थान सरकार के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि– (b) Rajasthan Imposition of Ceiling on Agrl. Holdings Act, 1973, Sec.23 (2A) - Appeal-Difference between old ceiling law and new ceiling law regarding appeals-There is a difference between as original case decided under Old Ceiling Law and a case decided as a re-opened case under section 15 of New Ceiling Law (Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act. 1973). Under section 23(2A) of New Ceiling Law. State Govt. or any person aggrieved by decision under section 15 of officer referred to in that section, may within 60 days from date of decision appeal to Board against such decision. Hence in reopened cases Revenue Appellate Authority does not had appellate jurisdiction on order passed under section 15. (Para 11)	

तारीख हुक्म	W.R. **निगरानी/टीए/3349/2002/नागौर** **गंगासिंह बनाम उच्छवकंवर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं मूल धारा से यह स्पष्ट है कि नये सीलिंग कानून के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील पोषणीय नहीं है न ही उन्हे कोई क्षेत्राधिकार है । अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेशों की अपील राजस्व मण्डल में पोषणीय है । प्रस्तुत प्रकरण में जो निर्णय दिया है इन न्यायिक दृष्टांतों की पालना में विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है एवं निरस्त योग्य है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी पारित निर्णय दिनांक 3-4-2002 निरस्त किया जाता है । पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे यदि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो इसकी अपील राजस्व मण्डल में ही प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (चिरंजी लाल दायमा) सदस्य	

तारीख हुक्म	W.R. **निगरानी/टीए/3349/2002/नागौर** **गंगासिंह बनाम उच्छवकंवर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए